रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1999/चैत्र 2, 1921
No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1999/CHAITRA 2, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999

सं. टीएएमपी/2/98-वी पी टी—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेश के अनुसार विशाखापतनम पत्तन न्यास के संबंध में "स्टाइरीन एकलक" (स्टाइरीन मोनोमर) के लिए घाटशुल्क प्रभार (व्हार्फेज चार्ज) निर्धारित करता है।

मामला सं. टीएएमपी/2/98-वीपीटी

विशाखापतनम पत्तन न्यास ...आवेदक

बनाम

मैसर्स एल.जी. पोलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ... गैर-आवेदक

आदेश

(22 फरवरी, 1999 को पारित)

विशाखापतनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने स्टाइरीन मोनोमर की कच्ची सामग्री के आयात के लिए घाटशुल्क निर्धारित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वीपीटी के दरमानों में घाटशुल्क प्रभारों की अनुसूची में स्टाइरीन मोनोमर के लिए घाटशुल्क की कोई दर विहित न होने के कारण वीपीटी ने 72 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर का प्रस्ताव किया था। यह निर्धारण ग्रेड 'ख' के रसायन हैंडल करने के लिए अन्य महापत्तनों में लागू दरों के संदर्भ में किया गया था।

2. इस मामलें की जाँच पत्तन स्तर पर की गई एक संयुक्त सुनवाई में इस पर विचारण करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

3. इस प्रस्ताव को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दे अनुचिंतन हेतु सामने आते हैं :

(i) कच्ची सामग्री स्टाइरीन मोनोमर का आयात सामान्य नहीं है और इस समय गैर-आवेदक के अतिरिक्त कोई पक्षकार इसका आयात नहीं कर रहा है। ऐसा होने से कोई अन्य पत्तन इस कार्गो को हैंडल नहीं करता।

(ii) स्टाइरीन मोनोमर ग्रेड 'ख' रसायनों के अन्तर्गत शामिल है और इस कार्गो को हैंडल करने के लिए सभी पत्तनों को अनुमति प्राप्त नहीं है। इसलिए ग्रेड 'ख' रसायन हैंडल करने के लिए लागू प्रशुल्कों के संदर्भ में अन्य पत्तनों के साथ तुलना करनी होगी।

(iii) तुलना के प्रयोजनार्थ इसी प्रकार स्थित नए पत्तनों जैसे तूतीकोरिन पत्तन और नव मंगलूर पत्तन से संबंधित तथ्यों का परिकलन किया गया है, पूर्णत: अपकृष्ट पुराने पत्तनों जैसे मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन और कलकत्ता पत्तन को इस प्रयोजन के लिए तुलना करने योग्य नहीं समझा गया है।

(iv) गैर आवेदक यद्यपि अध्यापत्ति करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) को 65 रु. प्र.मी.ट. का भुगतान करता रहा है परन्तु इसे इस संदर्भ में स्वीकार करना होगा कि एनएमपीटी पश्चिमी तट पर है और विशाखापत्तनम जहां गैर आवेदक का कारखाना स्थित है, से बहुत दूर है।

गैर आवेदक को अपनी संस्थापना/कार्य स्थल के निकट कार्गो आयात करने से एनएमपीटी जैसे अत्यन्त दूरस्थ पत्तन से कार्गो के परिवहन के खर्च में बचत होगी। इस संदर्भ में यह स्वीकार करना संगत होगा कि गैर आवेदक के कार्गो स्त्रोत कथित रूप से अधिकांशत: सुदूर पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। ऐसा होने से वीपीटी की अवस्थिति को उनके प्रयोजनार्थ एनएमपीटी की तुलना में अत्यन्त बेहतर कहा जा सकता है।

(v) वीपीटी ने सड़कों के सुधार, विद्युत आपूर्ति और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर खर्च किया है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में वीपीटी को निवेश किए बिना ही राजस्व प्राप्त हो जाएगा।

(vi) मैसर्स एल जी पोलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक सुस्थापित बड़ी कम्पनी है जिसे इस संबंध में किसी विशेष रियायत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 72 रु. प्र.मी.ट. की दर पर घाटशुल्क जो माल की स्थल पर उतराई तक की लागत का 0.45% परिकलित होता है, को अधिक नहीं कहा जा सकता।

4. परिणामत: उपर्युक्त कारणों से स्टाइरीन मोनोमर के आयात के लिए 72 रु. प्र.मी.ट. पर घाटशुल्क निर्धारित करने के लिए वीपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

[विज्ञापन/3/4/143/98 (असाधारण)]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1999

No. TAMP/2/98-VPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage charge for "STYRENE MONOMER" in respect of the Visakhapatnam Port Trust as in the order appended hereto.

Case No. TAMP/2/98-VPT

The Visakhapatnam Port Trust (VPT) ... **Applicant**

V/s

M/s. L.G. Polymers India Private Limited ... **Non-Applicant**

ORDER

(Passed on this 22nd day of February, 1999)

The Visakhapatnam Port Trust (VPT) had submitted a proposal about fixation of wharfage for import of raw material–STYRENE MONOMER. In the absence of a prescribed rate of wharfage for STYRENE MONOMER in the Schedule of Wharfage Charges in the VPT Scale of Rates, the VPT proposed a rate of Rs. 72/- PMT. This was done with reference to the rates applied in other major ports for handling Grade 'B' Chemicals.

2. The case was subjected to scrutiny in accordance with the prescribed procedure including its consideration in a joint hearing at the port level.

3. With reference to all the relevant facts governing this proposal, the following considerations emerge:

(i) Import of the raw material STYRENE MONOMER is not common and no party other than the Non-Applicant is presently importing it. That being so, no other port handles this cargo.

(ii) STYRENE MONOMER comes under Grade 'B' Chemicals; and, all ports are not permitted to handle this cargo. Comparison with other ports has, therefore, to be made with reference to tariffs applicable to handling of Grade 'B' Chemicals.

(iii) For purposes of comparison, facts relating to similarly situated new ports like Tuticorin Port and New Mangalore Port have been reckoned with; fully depreciated old ports like Mumbai Port, Chennai Port, and Calcutta Port have not been considered to be comparable for this purpose.

(iv) The Non-Applicant has been paying, albeit under protest, Rs.65/- PMT at the New Mangalore Port Trust (NMPT). It has to be recognised in this context that NMPT is on the West Coast and is far away from Visakhapatnam where the Non-Applicant's factory is situated.

Importing the cargo near their establishment/works spot, the Non-Applicant will save expenditure on transportation of the cargo from a very far away port like NMPT. It will be relevant in this context to recognise that the Non-Applicant's cargo-sources are reported to be mostly in the Far East and the South East Asia. That being so, the VPT can be said to much better located than the NMPT is for their purpose.

(v) The VPT has incurred expenditure on improvement of roads, supply of electricity, and other infrastructural facilities. It cannot, therefore, be said that the VPT will, in this case, get revenue for no investment.

(vi) M/s. L.G. Polymers India Private Limited are a well established big company who will need no special concession in this regard. In any case, the wharfage @ Rs. 72/- PMT, which works out to 0.45% of the landed cost of the cargo, cannot be said to be excessive.

4. In the result, and for the reasons given above, the proposal of the VPT for fixation of wharfage at Rs. 72/- PMT for import of STYRENE MONOMER is approved.

[Advt./III/IV/Exty./143/98]

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064